डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 16 मार्च, 2026, डिस्पेच दिनांक 16 मार्च, 2026

| वर्ष 69 | अंक 20 | भोपाल | 16 मार्च, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

पहली कृषि कैबिनेट में कृषि विकास और सिंचाई योजनाओं के लिए 27 हजार 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण के लिए दी 25 हजार 678 करोड़ रूपये की योजनाओं को स्वीकृति

बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए दीं 2068 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में नागलवाड़ी में मंत्रि-परिषद की पहली कृषि कैबिनेट

किसान कल्याण वर्ष में हर अंचल में होगी कृषि कैबिनेट

भगोरिया पर्व पर जनजातीय वर्ग के सम्मान और कल्याण का दिया सशक्त संदेश

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी जिले के भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में हुई पहली कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से संबंधित 27 हजार 500 करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। किसान कल्याण वर्ष में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट में किसानों और विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में लगे लोगों के लिए 25 हजार 678 करोड़ रूपये की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषि कैबिनेट में नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2,068 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षों में व्यय की जायेगी। जनजातीय अंचल में मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों ने जनजातीय परंपरागत वस्त्रों को धारण कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अभ्युदय मध्यप्रदेश में जनजातीय वर्ग के सम्मान और कल्याण का सशक्त संदेश दिया।

मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026 की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026 को स्वीकृति दी। इसमें अगले 3 वर्षों तक रुपये 3 हजार करोड़ का निवेश एवं लगभग 20 हजार रोजगार (10 हजार प्रत्यक्ष एवं 10 हजार अप्रत्यक्ष) सृजित होंगे। इस नीति में 18 करोड़ 50 लाख रूपये के बजट प्रावधान की स्वीकृति दी गई। इसमें केज कल्चर को आधुनिक स्वरुप में बढ़ावा देते हुए लगभग एक लाख केज स्थापित किये जायेंगे। इस नीति में मछली पालन संबंधी गतिविधि के साथ ईको-टूरिज्म एवं ग्रीन एनर्जी को शामिल करते हुये बहुउद्देशीय आजीविका मॉडल के रुप में कार्य होगा।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मंत्री ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

अप्रैल माह में पैक्स से 10 लाख किसानों को जोड़ने के लिए चलाया जाएगा वृहद सदस्यता अभियान

पैक्स एवं विपणन सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु कमेटी गठन के दिए निर्देश

भोपाल, सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग की वर्तमान गतिविधियों एवं आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) और विपणन सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी सहकारी संस्थाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर उनके संचालन, संरचना और कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में सुझाव देगी तथा 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को "कृषि कल्याण वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि वर्ष को ध्यान में रखते हुए सहकारिता संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

हर पंचायत में पैक्स के माध्यम से खुलेंगे जन औषधि केंद्र : विश्वास सारंग

भोपाल | सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को भोपाल स्थित मैनिट (मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) में जन औषधि दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के महत्व के लिये स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है।मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार और विस्तार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, देशभर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी पहल ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दी है।मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए देशभर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सरकार द्वारा खरीदी गई जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। इन दवाइयों की कीमतें खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में लगभग 50 से 80 प्रतिशत तक कम होती हैं, जिससे आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है।मंत्री सारंग ने बताया कि विगत 11 वर्षों में जन औषधि परियोजना के माध्यम से देश की जनता के लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह योजना न केवल लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रही है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। जन औषधि परियोजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराकर उनके जीवन को आसान बना रही है।

हर पंचायत में पैक्स के माध्यम से जन औषधि केंद्रों का विस्तार

मंत्री सारंग ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाते हुए जनहित की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में सहकारी समितियों के माध्यम से भी जन औषधि केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति) के माध्यम से जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो सके।कार्यक्रम में वरिष्ठ संयुक्त संचालक एनएचएम डॉ. प्रभाकर तिवारी, अध्यक्ष फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (मध्यप्रदेश) डॉ. संजय जैन, जोनल मैनेजर पीएमबीआई (जनऔषधि विभाग) विवेक शर्मा उपस्थित रहे।

15 दिवसीय अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम सम्पन्न

सहकारिता के महत्व एवं युवाओं की भागीदारी पर दिया गया विशेष मार्गदर्शन

भोपाल। महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इंदौर में आयोजित 15 दिवसीय अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।कार्यक्रम का संचालन सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य द्वारा किया गया। इंटर्नशिप के दौरान सहकारिता के महत्व, शासन की विभिन्न सहकारी योजनाओं, सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर, तथा युवाओं की सहकारिता में सक्रिय भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

वक्ताओं ने बताया कि सहकारिता केवल एक संगठनात्मक ढांचा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता एवं सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता विकास, कृषि आधारित व्यवसाय, सेवा क्षेत्र एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में व्यापक अवसर प्राप्त हो सकते हैं।इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को सहकारी संस्थाओं की संरचना, गठन प्रक्रिया, प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं नेतृत्व विकास से संबंधित व्यवहारिक जानकारी भी प्रदान की गई। साथ ही यह भी समझाया गया कि युवा शक्ति सहकारिता के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

के.सी.सी. स्वीकृति व नवीनीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन करने हेतु गठित कमेटी की बैठक संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक)के मुख्यालय में किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) की स्वीकृति एवं नवीनीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने हेतु गठित कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने की।बैठक में श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि सभी पैक्स सदस्यों के लिए के.सी.सी. स्वीकृति एवं नवीनीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों को फसल ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनेगी। साथ ही, किसानों को कम समय में शून्य प्रतिशत ब्याज योजना का लाभ भी सुलभ हो सकेगा।बैठक में संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री अम्बरीष वैद्य, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), म.प्र. के उप महाप्रबंधक श्री नन्दू जे. नायक, अपेक्स बैंक के उप महाप्रबंधक श्री के.टी. सज्जन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री अरविंद बौद्ध, कमेटी के सदस्य संयोजक एवं आई.टी. प्रबंधक श्री आशीष राजौरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह एवं श्री सौरभ जुनवाल सहितमध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा अभिकरणके कंसलटेंट उपस्थित रहे।बैठक में तकनीकी ढांचे, डेटा इंटीग्रेशन, पैक्स स्तर पर आवश्यक प्रशिक्षण एवं सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही पायलट आधार पर ऑनलाइन प्रणाली प्रारंभ कर आवश्यक सुधारों के पश्चात इसे राज्यव्यापी स्तर पर लागू किया जाएगा।अंत में अध्यक्ष द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी
घोषणा फार्म चार (नियम – 8)

1.	प्रकाशन स्थल	:	**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल**
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई - 8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	:	**गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित गणेश प्रसाद मांझी
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	**हाँ**
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	:	यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं गणेश प्रसाद मांझी एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 16 मार्च 2026

सही / -
(गणेश प्रसाद मांझी)
प्रकाशक

मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों की कार्यशाला सम्पन्न

सहकारिता आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम : एन.डी. कटरे

भोपाल। जिला सहकारी संघ मर्यादित, सिवनी के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नगर स्थित शासकीय सभाकक्ष में 'मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों' के सदस्यों एवं संचालकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य समितियों को सुदृढ़ बनाना, प्रबंधन क्षमता का विकास करना तथा शासन की योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर के प्राचार्य व्ही. के. बर्वे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता विभाग सिवनी के अंकेक्षण अधिकारी एन.डी. कटरे ने की। इस अवसर पर मत्स्योद्योग विभाग सिवनी के मत्स्य निरीक्षक रजनीश सिंह कुशराम विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए एन.डी. कटरे ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया, उनके सफल संचालन के तकनीकी पहलुओं तथा पारदर्शिता व वित्तीय अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि व्ही के. बर्वे ने कहा कि सहकारिता संगठित प्रयासों का प्रभावी माध्यम है, जिसके द्वारा सदस्य अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने, नवीन गतिविधियों को अपनाने तथा सामूहिक विपणन व्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया।विशेष अतिथि रजनीश सिंह कुशराम ने मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, अनुदान, तकनीकी मार्गदर्शन एवं मत्स्य पालन में उत्पादन वृद्धि के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सदस्यों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।कार्यशाला में सहकारी समितियों के गठन, सदस्यता विस्तार, लेखा-प्रबंधन, योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुदान प्राप्ति की प्रक्रिया तथा सफल संचालन के तकनीकी पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए तथा विभिन्न समस्याओं और संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।कार्यक्रम में जिले की विभिन्न मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

दुग्ध सहकारी समितियों के लिए दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण संपन्न

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल एवं जिला सहकारी संघ उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में उज्जैन जिले की दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्षों, संचालकों, दुग्ध संघ के पर्यवेक्षकों एवं समिति प्रबंधकों के लिए दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों के प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना तथा नेतृत्व क्षमता का विकास करना रहा।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के उपायुक्त श्री के. पाटनकर एवं विशेष अतिथि सहायक आयुक्त श्री संजय कौशल, ऑडिट अधिकारी श्री संजू शर्मा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट, दुग्ध संघ के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित विभिन्न अधिकारी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच उपस्थित रहे।प्रशिक्षण के दौरान दुग्ध सहकारी समितियों के प्रभावी संचालन, लेखा प्रबंधन, पारदर्शिता, गुणवत्ता नियंत्रण, दुग्ध संग्रहण प्रणाली, डिजिटल भुगतान व्यवस्था तथा सहकारिता के सिद्धांतों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि दुग्ध क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में समितियों के पदाधिकारियों एवं प्रबंधकों का प्रशिक्षित एवं दक्ष होना अत्यंत आवश्यक है।अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने अनुभव साझा किए तथा विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा की।

SOFTCOB योजना अंतर्गत बी-पैक्स कार्मिकों का कर एवं सहकारिता विषयक प्रशिक्षण संपन्न

भोपाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रायोजित एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित द्वारा आयोजित SOFTCOB योजना के अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उज्जैन जिले की बी-पैक्स समितियों के कार्मिकों को आयकर, टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. संबंधी प्रावधानों में दक्ष बनाना तथा सहकारिता के नवीन दिशा-निर्देशों से अवगत कराना था। कार्यशाला का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रशिक्षण सत्रों में राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारिता नीति, आदर्श उपविधियाँ, कराधान प्रणाली, जी.एस.टी. पंजीयन एवं रिटर्न प्रक्रिया, टी.डी.एस. कटौती एवं अनुपालन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रतिभागियों को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से कर संबंधी जटिलताओं को सरल तरीके से समझाया गया।इस अवसर पर उपायुक्त सहकारिता श्री के. पाटनकर, डीडीएम नाबार्ड श्री नागेश चौरसिया, बैंक के सीईओ श्री विशेष श्रीवास्तव, अंकेक्षण अधिकारी श्री संजीव शर्मा, सीए श्री दिवाकर शुक्ला, प्राचार्य श्री दिलीप मरमट, श्री सुमेर सिंह सोलंकी एवं प्रशिक्षक श्री सुयश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।अंत में प्रतिभागियों के प्रश्नों के समाधान के साथ कार्यशाला का समापन हुआ तथा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने पर बल दिया गया।

नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजना अंतर्गत बी-पैक्स कार्मिकों का प्रशिक्षण संपन्न

भोपाल। नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजना के अंतर्गत बी-पैक्स (PACS) समितियों के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला के सभागार में किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आयोजित किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री साक्षी पंढाम तथा विशेष अतिथि सहायक आयुक्त सुश्री पायल असेटकर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में असिस्टेंट मैनेजर सुश्री ज्योति, मार्केट अधिकारी श्री अनिलकांत तिवारी तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री हर्षदीप गुप्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री टी.के. वर्मा द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया।मुख्य अतिथि सुश्री साक्षी पंढाम ने अपने उद्बोधन में कहा कि तकनीकी और नवाचार आधारित कार्यप्रणाली अपनाकर पैक्स संस्थाओं को आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पैक्स कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।विशेष अतिथि सुश्री पायल असेटकर ने अपने संबोधन में कहा कि शासन की "सहकार से समृद्धि" तथा "आत्मनिर्भर भारत" की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी समितियों को सशक्त बनाना आवश्यक है, जिससे वे वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकें।कार्यक्रम में मार्केट अधिकारी श्री अनिलकांत तिवारी ने समितियों में कंप्यूटरीकरण एवं तकनीकी बदलावों के महत्व पर प्रकाश डाला।

चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री हर्षदीप गुप्ता ने पैक्स कर्मचारियों को आयकर, टीडीएस और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।प्राचार्य श्री व्ही. के. वर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान सहकार से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025, ऋण वितरण प्रक्रिया, ई-टोकन प्रणाली तथा अकृषि ऋण वितरण की संभावनाओं जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों से कार्यक्रम का फीडबैक प्राप्त किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी प्रशिक्षक श्री जय कुमार दुबे द्वारा किया गया। अंत में प्राचार्य महोदय ने बैंक के सीईओ एवं समस्त स्टाफ के सहयोग तथा उपस्थित सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

पारंपरिक खेती से प्रगतिशील बागवानी तक का सफर

श्री कुशवाह बने ऑटोमेशन सिस्टम से फूलों की खेती करने वाले भोपाल के पहले किसान

भोपाल : भोपाल जिले के फन्दा क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा बोंदर के श्री रामसिंह कुशवाह कभी धान, गेहूं और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहकर सीमित आय अर्जित करने वालेकिसान रहे है। आज वे फूलों और फलों की आधुनिक खेती से प्रतिमाह लाखों रुपये की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा केवल आर्थिक उन्नति की कहानी नहीं, बल्कि किसान सशक्तिकरण और नवाचार की प्रेरक मिसाल है।

श्री कुशवाह कहते हैं, "मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है और समाज में एक नई पहचान दी है।"

श्री कुशवाह का परिवार वर्षों से पारंपरिक खेती करता आ रहा था,जिसमें बढ़ती लागत और कम लाभ के कारण आर्थिक चुनौतियाँ बनी रहती थीं। इसी दौरान उन्हें उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास योजना की जानकारी मिली। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ लेते हुए एक हजार स्क्यायर फिट में पॉली हाउस बनाकर फूलों (गुलाब और जरबेरा) की खेती प्रारंभ की।

राज्य योजना में उद्यानिकी विभाग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में उन्होंने एक एकड़ भूमि में पॉली हाउस सरकार के लिए सब्सिड़ी लेते हुए गुलाब, जरबेरा, गेंदा के 30 हजार पौधें रोपे, जिससे श्री कुशवाह प्रतिदिन 4 हजार कट फ्लावर बेच कर प्रतिदिन 4 से 6 हजार रूपये तक की आमदनी प्राप्त कर रहे है। फूलों का उत्पादन बढ़ाने एवं लागत को कम करने के लिए उन्होंने इस वर्ष एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत सेंसर आधारित ऑटोमेशन सिस्टम अपने पॉली हाउस में स्टॉल करवाया जिसकी लागत 4 लाख रूपये है। इसमें 2 लाख रूपये की सब्सिड़ी सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। ऑटोमेशन सिस्टम से एक एकड़ की खेती में पानी, खाद, दवाइयों की संतुलित मात्रा 24 x 7 बिना किसी मेन्युअल सिस्टम से दी जा रही है। जिससे पानी, खाद के समय एवं लागत की भी बचत हो रही है, वर्तमान में श्री कुशवाह पारंपरिक खेती से ऑटोमेटिक सिस्टम से बागवानी करने वाले भोपाल के पहले किसान बन गए है। उनके गुलाब, जरबेरा की सप्लाई लखनऊ, दिल्ली, जयपुर तक हो रही है।

किसान श्री कुशवाह ने एक एकड़ में विगत वर्षों में 30 हजार जरबेरा के हाइब्रिड पौधों का रोपण किया तथा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाया, जिस पर उन्हें 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिला। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती के परिणामस्वरूप वे मात्र एक वर्ष में ही प्रतिदिन 1500 से 2000 फूलों का उत्पादन कर बाजार में विक्रय कर रहे हैं। वे प्रतिदिन 4 हजार फूल स्पाईक प्राप्त कर प्रतिदिन 4 से 5 हजार रूपये की आमदनी भी प्राप्त कर रहे है। फूलों और फलों की खेती ने श्री कुशवाह की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना दिया है।

श्री कुशवाह की यह कहानी प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा है कि सही मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक और शासकीय योजनाओं के सहयोग से खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" विज़न तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारी क्षेत्र में सुधारों को मिल रही गति

सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा अब तक लगभग 240 चुनाव सम्पन्न; सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन को मिल रही मजबूती

लगभग 70 चुनाव वर्तमान में प्रगति पर; अगले वर्ष करीब 130 और चुनाव कराने की संभावना

महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में बढ़ रही समावेशिता

नई दिल्ली | सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सहकारी चुनाव प्राधिकरण (CEA) द्वारा आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के चुनावों में पारदर्शिता एवं शुचिता" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निदेशक मंडल के सदस्य, रिटर्निंग अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरणों के अध्यक्ष, सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है और सहकारी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार देशभर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर एकत्रित हुए हैं, ताकि सहकारी चुनावों में पारदर्शिता और शुचिता को सुदृढ़ बनाने के विषय पर विचार-विमर्श किया जा सके। श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के विज़न और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारी तंत्र को सशक्त बनाने तथा सतत सहकारी विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, ताकि सहकारिताएं आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक बनाना है। उन्होंने कहा कि संशोधित अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक स्वतंत्र सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना है, जिसे 11 मार्च 2024 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। इस प्राधिकरण को बहु-राज्यीय सहकारी समितियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार के तहत बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के निदेशक मंडलों के कार्यकाल को निश्चित किया गया और उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया जिनके कारण चुनाव होने तक बोर्ड अनिश्चितकाल तक बना रहता था। इससे सहकारी संस्थाओं के प्रशासन में अनुशासन आया है और चुनावों में अनावश्यक विलंब की प्रवृत्ति पर रोक लगी है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए ये सुधार सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा अब तक लगभग 240 चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए जा चुके हैं, जबकि लगभग 70 चुनाव वर्तमान में प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 130 अतिरिक्त चुनाव कराए जाने की संभावना है, जिससे सहकारी क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि संशोधित अधिनियम के तहत निदेशक मंडल में महिलाओं के लिए दो तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक सीट आरक्षित की गई है, जिससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अब तक कराए गए चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित छह सीटें और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित तेरह सीटें अभी रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए सहकारिता मंत्रालय आवश्यक कदम उठा रहा है।

सहकारिता राज्य मंत्री ने आगे कहा कि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों सहित अन्य सहकारी बैंकों के बोर्ड के कार्यकाल को संविधान के अनुच्छेद 243ZJ के अनुरूप किया गया है, जिससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन को और सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत सहकारी बैंकों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे बैंक अपने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत पैनल से करें। इससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के तहत बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के निदेशक लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकेंगे, जिससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में नए और युवा नेतृत्व के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सहकारी समितियां सहकारी सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जो सहकारी आंदोलन के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार सदस्य समान रूप से योगदान देते हैं और सहकारी संस्थाओं की पूंजी तथा कार्यप्रणाली पर लोकतांत्रिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे वे नीतिगत निर्णयों और प्रबंधन प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी कर पाते हैं। उन्होंने सहकारी व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भर्ती और वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, ताकि सहकारी संस्थाएं पेशेवर ढंग से संचालित आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित होकर विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दे सकें।

सहकारिता राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से 5 मार्च 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सहकारी लोकपाल की नियुक्ति की गई है। सहकारी लोकपाल सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करता है तथा समितियों के सहकारी सूचना अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। उन्होंने बताया कि अब तक 38 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान सहकारी लोकपाल द्वारा पारित आदेशों के माध्यम से किया जा चुका है।

इस अवसर पर सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस अवधि में देशभर में विभिन्न सहकारी संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराकर महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया का पारदर्शी, सहभागी और विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है।

अध्यक्ष ने कहा कि सहकारी समितियों के उपनियमों में स्पष्टता होना आवश्यक है ताकि चुनावों के दौरान विवादों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार, सक्रिय सदस्यता तथा चुनाव लड़ने की पात्रता जैसे विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और स्पष्ट बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े बहु-राज्यीय सहकारी संस्थानों में निदेशक मंडल की संरचना ऐसी होनी चाहिए जो सदस्यता की विविधता को प्रतिबिंबित करे और विभिन्न क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे।

इससे पूर्व दिन में दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिनका विषय था "चुनावों के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देना" तथा "चुनावी प्रक्रियाओं में शुचिता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करना"। इन सत्रों में सहकारी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने सक्रिय भागीदारी की और सहकारी चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की।

संगोष्ठी का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि सहकारी चुनावों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और व्यापक सदस्य भागीदारी को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि सहकारी आंदोलन देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सके और "सहकार से समृद्धि" तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सके।

(पृष्ठ 1 का शेष)

पहली कृषि कैबिनेट में कृषि विकास....

पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल कें लिए 610 करोड़ 51 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों के अधोसंरचनात्मक विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों तक पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल कें लिए 610 करोड़ 51 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की। यह कार्य वर्ष 2026 से 2031 तक निरंतर जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को आगामी 2 वर्ष, वर्ष 2026-27 और वर्ष 2027-28 की निरंतरता के लिए 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में मत्स्य बीज संवर्धन, मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण, ब्याज अनुदान एवं रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

राष्ट्रीय उद्याकनिकी मिशन को आगामी 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 1150 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय उद्या निकी मिशन को आगामी 5 वर्षों तक निरंतर रखने के लिए 1150 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी। इस योजना में कृषि क्षेत्र में दक्षता की वृद्धि, विभिन्न कृषि घटकों के प्रभाव वृद्धि, दोहराव से बचाव संबंधी कार्य किये जायेंगे।

सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 1,375 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना को आगामी 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2020-31 तक) की निरंतरता के लिए 1,375 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी से, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणीय उद्योगों के उन्नयन तथा नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

पौधशाला उद्या न के लिए 1 हजार 739 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने उद्यानिकी के क्षेत्र में पौधशाला उद्याडन में रोपणियों में पौध तैयार करने और उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज, रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए अगले वर्ष 2031 (आगामी 5 वर्ष) तक के लिए 1739 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास की 20 परियोजनाओं के लिए 3 हजार 502 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास की 500 करोड़ से कम वित्तीय आकार की 20 परियोजनाओं को आगामी 5 वर्षों तक अर्थात 31 मार्च, 2031 तक के लिए निरंतर जारी रखने जाने की स्वीकृति दी है। इसके लिए 3 हजार 502 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

"सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता" योजना के लिए 1 हजार 975 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की "सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता" योजना को अगले 5 वर्षों 31 मार्च, 2031 तक संचालित करने के लिए 1 हजार 975 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। लोकवित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम को ऋण प्रदाय करना सहकारिता विभाग द्वारा जिला बैंकों के माध्यम से, कालातीत ऋणों की पूर्ति किये जाने के लिए कृषकों को फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है।

कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के लिए 3 हजार 909 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को 31 मार्च, 2031 तक की निरंतरता के लिए 3 हजार 909 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन फसल ऋण राशि रुपये 3 लाख तक शून्य प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

(शेष पृष्ठ 6 पर) किसानों को प्राप्त हो रही सुविधा एवं सहायता प्राप्त होती रहेगी।

सहकारी संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए 1, 073 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के अधीन सहकारी संस्थाओं को आवश्यक सहयोग जैसे अंशपूंजी, ऋण तथा अनुदान आदि सुलभ कराने एवं विभागीय गतिविधियों को सुचारु रखने के लिए 12 प्रचलित योजनाओं को भी 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालित रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इन 12 योजनाओं की निरंतरता के लिए 1073 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।

सहकारिता की विभिन्न योजनाओं के लिए 1,229 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अधीन चल रहीं विभिन्न योजनाओं के अगले 5 वर्षों तक सुचारु संचालन एवं मानीटरिंग के लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत एक हजार 229 करोड़ स्वीकृत किये गये।

पशुधन विकास के लिए 656 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत सोर्टेड सेक्स्ड सीमन उत्पादन परियोजना को 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालित करने के लिए 656 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में चिन्हित नस्ल के मादा गौ-भैंस वंशीय पशुधन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पशु पालकों को आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया जाता है। इस योजना से पशु पालकों को निरंतर लाभ प्राप्त होता रहेगा।

पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिए 1723 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संचालित की जा रही 14 योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक निरंतर रखने के लिए 1723 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ दिया जाता है

पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की 11 योजनाओं के लिए 6 हजार 518 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में पशु प्रजनन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी प्रक्षेत्र, रोग उन्मूलन, पशुओं के टीकाकरण, गहन पशु विकास परियोजना आदि 11 योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 6 हजार 518 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2067.97 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले में अल्प वर्षा क्षेत्र तहसील वरला के 33 ग्रामों में तथा तहसील पानसेमल के 53 ग्रामों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार 68 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

वरला, उद्वहन माईक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना में नर्मदा नदी से 51.42 एम.सी.एम. जल उद्वहन करते हुए वरला तहसील के 33 गाँवों की 15 हजार 500 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना की लागत 860.53 करोड़ रुपये है।

पानसेमल माईक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना में तहसील पानसेमल के 53 ग्रामों की 22 हजार 500 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इसके तहत नर्मदा नदी से 74.65 एम.सी.एम. जल उद्वहन किया जायेगा। इस परियोजना की लागत एक हजार 207.44 करोड़ रूपये है।

किसान कल्याण वर्ष की यह पहली कैबिनेट है। भविष्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कृषि कैबिनेट का आयोजन कर किसान कल्याण की दिशा में अनेक निर्णय लिए जाएंगे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मंत्री ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा...

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पैक्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत इकाई के रूप में विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए पैक्स की सदस्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल माह में प्रदेशभर में वृहद सदस्यता अभियान चलाया जाए, जिसके तहत लगभग 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता से जोड़ने से ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और किसानों को संस्थागत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

मंत्री श्री सारंग ने खाद वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि डबल लॉक की स्थिति में नगद भुगतान के माध्यम से पैक्स के जरिए खाद वितरण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बन सकेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रबी विपणन में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन व्यवस्था की निगरानी एवं समीक्षा के लिये समिति गठित

भोपाल : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन व्यवस्था की निगरानी एवं समीक्षा और बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये मंत्रि-मंडल समिति गठित की गई है। समिति में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत और पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल सदस्य मनोनीत किये गये हैं।

समिति समय-समय पर बैठक कर इस संबंध में केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों एवं वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत प्रदेश में आगामी गेहूँ उपार्जन की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये मुख्यमंत्री को अनुशंसा करेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास के भारसाधक सचिव समिति में स्थाई आमंत्रित होंगे। समिति का कार्यकाल 30 जून, 2026 तक रहेगा।

दलहन विकास को मिलेगा नया बल : नामली (रतलाम) स्थित पारस्परिक किसान उत्पादक सहकारी संगठन का किया गया निरीक्षण

भोपाल, पारस्परिक किसान उत्पादक सहकारी संगठन, नामली, जिला रतलाम में दलहन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निरीक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम में डॉ. रामनारायण अहिरवार, दलहन विकास निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एफपीओ की प्रगति, अभिलेखों एवं परियोजना गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।कार्यक्रम में सीबीबीओ भोपाल की ओर से रॉबिन सक्सेना (Laws & Account Expert, CBBO) विशेष रूप से उपस्थित रहे तथा एफपीओ से संबंधित समस्त जानकारी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर उपसंचालक, कृषि रतलाम श्री एल. एल. वर्मा की भी उपस्थिति रही।निरीक्षण के दौरान एफपीओ के प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा परियोजना अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही परियोजना हेतु ली गई भूमि का भौतिक निरीक्षण भी किया गया।एफपीओ की ओर से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) एवं लेखापाल निरीक्षण के समय उपस्थित रहे एवं संगठन की उपलब्धियों, व्यवसायिक योजनाओं तथा भावी कार्ययोजना की जानकारी प्रदान की।डॉ. अहिरवार ने एफपीओ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए दलहन उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन में और अधिक संगठित प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि एवं बाजार सुदृढ़ीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति संभव है।

डाक विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पहल

भोपाल। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न बचत, बीमा एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भोपाल जनरल पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ डाकपाल जयश्री राघवन द्वारा सहकारी संस्थाओं एवं संगठनों को पत्र जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाने तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया गया है। डाक विभाग परिवार कल्याण एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न बचत योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित निवेश, बेहतर ब्याज दर तथा सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है।डाकघर केबचत खातेपर वर्तमान में लगभग 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है तथा इसमें कोर बैंकिंग, चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं आरटीजीएस/एनईएफटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बचत खाते के साथ ग्राहक विभिन्न बीमा योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवर्ती जमा (Recurring Deposit) खाते पर लगभग 6.7 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है, जिसमें नियमित मासिक जमा के माध्यम से बचत की सुविधा उपलब्ध है तथा ऑटोमेटिक डेबिट की सुविधा भी प्रदान की जाती है। डाक विभाग की मासिक आय योजना (MIS)पर लगभग 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है, जबकि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में लगभग 8.2 प्रतिशत तक ब्याज प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार डाकघर की सावधि जमा योजनाओं (1, 2, 3 एवं 5 वर्ष)पर लगभग 6.9 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक ब्याज दर उपलब्ध है, जिसमें मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक भुगतान की सुविधा भी दी जाती है। डाकघर की एक महत्वपूर्ण दीर्घकालीन बचत योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)है, जिसमें वर्तमान में लगभग 7.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और यह योजना सुरक्षित निवेश का महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है।बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजनाभी संचालित की जा रही है। इस योजना में 0 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं के नाम से खाता खोला जा सकता है तथा इसमें लगभग 8.2 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा नागरिकों को कम प्रीमियम पर बेहतर बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय डाक जीवन बीमा योजना भी चलाई जा रही है, जिससे सरकारी एवं अर्धसरकारी कर्मचारियों सहित अन्य पात्र नागरिक लाभान्वित हो सकते हैं।डाक विभाग द्वारा आम नागरिकों को अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इनमें आधार कार्ड बनवाने एवं अपडेट कराने की सुविधा, रेल टिकट बुकिंग तथा टिकट निरस्तीकरण जैसी सेवाएं शामिल हैं। साथ हीभारतीय डाक जीवन बीमाके माध्यम से डिजिटल बैंकिंग, AEPS, आधार आधारित भुगतान, DBT, GAG तथा अन्य डिजिटल लेन-देन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। वरिष्ठ डाकपाल श्रीमती जयश्री राघवन ने सहकारी संस्थाओं एवं संगठनों से आग्रह किया है कि वे इन योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें तथा यदि किसी संस्था में सेमिनार, शिविर या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना हो तो डाक विभाग से संपर्क कर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक नागरिक इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सहकारिता में महिलाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी

भोपाल, संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं ओएसडी अपेक्स बैंक श्रीमती अरूणा दुबे द्वारा विषय से संबंधित उद्बोधन दिया एवं सभी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक की धर्मपत्नी श्रीमती इंदु गुप्ता, उपसचिव सहकारिता की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना सिन्हा सहित, श्रीमती विभा तिवारी सहित बैंक की समस्त महिला अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, अंताक्षरी, गीत-संगीत का आयोजन भी किया गया, जिसमें समस्त बैंक कर्मी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही।

नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजना अंतर्गत बी-पैक्स कार्मिकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब (SOFTCOB) योजना अंतर्गत बी-पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों) के कार्मिकों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल के सभागार में दिनांक 20 से 21 फरवरी 2026 तक सफलता पूर्वक किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बी-पैक्स कार्मिकों की प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय प्रबंधन क्षमता एवं व्यवसायिक कौशल का विकास करना रहा। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त, सहायक प्रबंधक, विपणन अधिकारी, अकाउंटेंट एवं जिले की विभिन्न सहकारी समितियों के संस्था प्रबंधकों की उपस्थिति में किया गया। अधिकारियों ने अपने उद्बोधन में सहकारिता क्षेत्र में क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।दो दिवसीय प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा निम्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई -

- सॉफ्टकॉब योजना की रूपरेखा एवं उद्देश्य
- बी-पैक्स का व्यवसाय विविधीकरण एवं बहु-सेवा मॉडल
- लेखा प्रबंधन, ऑडिट एवं पारदर्शी प्रणाली
- डिजिटल लेखांकन, ई-लेजर एवं ऑनलाइन सेवाएँ
- कृषि आदान (बीज, उर्वरक) वितरण एवं विपणन प्रबंधन
- सदस्यता विस्तार एवं वित्तीय समावेशन
- ऋण प्रबंधन एवं प्रभावी वसूली रणनीतियाँ
- प्रदेश की सहकारिता नीति एवं केंद्र सरकार की सहकारिता नीति के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
- साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल प्रबंधन पर मार्गदर्शन

सत्रों में प्रायोगिक उदाहरण, समूह चर्चा एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में जिले की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें समितियों के प्रभावी संचालन एवं आय-वृद्धि के नए अवसरों की जानकारी प्राप्त हुई।समापन सत्र में अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण भिंड में सफलतापूर्वक संपन्न

भोपाल। नाबार्ड प्रायोजित तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव के तत्वावधान में एक दिवसीय सॉफ्टकॉब (SOFTCOB) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 20 फरवरी 2026 को जिला सहकारी बैंक, भिंडके सभागृह में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बी-पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों) के प्रबंधकों एवं कार्मिकों को वित्तीय, विधिक एवं नीतिगत विषयों पर अद्यतन जानकारी प्रदान कर उन्हें अधिक सक्षम एवं जवाबदेह बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ चंबल संभाग की संयुक्त आयुक्त सहकारिता सुश्री अनिता उइके के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर उप आयुक्त सहकारिता मुरैना श्रीमती अनुभा सूद, प्रभारी उप आयुक्त भिंड श्री जे.के. शर्मा तथा जिला सहकारी बैंक भिंड के सीईओ श्री मेहुल पवारकी विशेष उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि सुश्री अनिता उइके ने अपने उद्बोधन में कहा कि सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने M-पैक्स को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर बहुउद्देश्यीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया।

जिला सहकारी बैंक भिंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री नीरज जैन द्वारा पैक्स से संबंधित आयकर (Income Tax), वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा स्रोत पर कर कटौती (TDS) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला-

- पैक्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता
- जीएसटी पंजीयन की स्थिति एवं कर दायित्व
- टीडीएस कटौती एवं समय पर जमा करने की प्रक्रिया
- लेखा अभिलेखों का संधारण एवं ऑडिट अनुपालन
- कर संबंधी त्रुटियों से बचाव के उपाय

इस सत्र में प्रतिभागियों ने अनेक प्रश्न पूछे, जिनका समाधान विशेषज्ञ द्वारा व्यवहारिक उदाहरणों सहित किया गया।

इफको भिंड के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीशिवम परमारने इफको के उर्वरक उत्पादों, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी तथा अन्य कृषि आदानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियाँ किसानों तक गुणवत्तापूर्ण उर्वरक एवं कृषि उत्पाद समय पर उपलब्ध कराकर उनकी आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्राचार्य श्रीशिरीष पुरोहित ने मध्यप्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार की सहकारिता नीति के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि-

- सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता एवं डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- बहुउद्देश्यीय पैक्स मॉडल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, विपणन, उपभोक्ता भंडार, सीएससी सेवाएँ आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहकारिता क्षेत्र के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में भिंड जिले के बी-पैक्स प्रबंधक, सहकारिता विभाग भिंड एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भिंड के अधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्रीखूबचंद सेनका विशेष सहयोग सराहनीय रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।